अपमा

AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION (Regd.)

Estd. 1965

WWW.APMA.BIZ

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/113 दिनांक : 06 जुलाई, 2017

व्यापारी भाईयो,

हमारी संस्था 'अपमा' ने जी.एस.टी. कर प्रणाली के लिए, जिस कम्प्यूटर सोफ्टवेयर की जरूरत है, उसके तहत 'टैली सोलूशन प्रा. लि.' के माध्यम से Distributor . 'सरस्वती सोफ्टवेयर प्रा. लि.' के साथ मिलकर व्यापारी भाईयों के लिए सहयोग की दिशा में प्रयास किया है। ये कम्पनी Tally ERP 9 अपने सदस्यों को एक खास आकर्षक मूल्य पर प्रदान कर सके, इस हेतु उन्होंने अपनी तरफ से जो प्रस्ताव 'अपमा' को दिये हैं, वे इस प्रकार हैं –

MRP Prices -
Tally ERP 9 Single User Rs. 18000
Tally ERP 9 Multi User Rs. 54000
Taxes 20 Percent Extra

कम्पनी की तरफ से सदस्यों के एकल प्रयोग पर मिलने वाली छूट –

25 to 99 Copies Rs. 18000 less 15% Discount
100 to 499 Copies Rs. 18000 less 25% Discount
500 to 999 copies Rs. 18000 less 35% Discount

दोस्तो, अभी तक आपको 'टैली सोलूशन प्रा. लि.' के यहाँ से सम्पर्क स्थापित किया गया होगा और आपकी स्वीकृति ली गई होगी। अभी तक हमारे पास इस सोफ्टवेयर की प्राप्ति हेतु 200 'अपमा' सदस्यों की स्वीकृति मिली है। 'अपमा' का प्रयास है कि वे ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की स्वीकृति प्रदान होने के बाद इस छूट का लाभ उठाया जाये।

इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि जितना शीघ्र हो सके, हाँ या नहीं। टेली वालों को बतायें ताकि ये विषय अपने समापन की ओर बढ़े।

कृपया ध्यान रखें कि 'अपमा' एक माध्यम मात्र है, जो कि अपने सदस्यों के लिए रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की चेष्टा कर रही है, जितने भी व्यावसायिक पहलू हैं, वे टेली सोफ्टवेयर प्रा. लि. या 'सरस्वती सोफ्टवेयर प्रा. लि.' (Distributor) यह आपके मध्य ही रहेंगे, 'अपमा' इसका कोइ दायित्व नहीं लेगी, यह आपका स्वयं का अपना निर्णय होगा।

जिन सुविधाओं की उन्होंने बात की है, उसमें बिना किसी शुल्क के सोफ्टवेयर स्थापित करना और इस सोफ्टवेयर को उपयोग में लाने हेतु आपको निपुण करना, कश्मीरी गेट में ही उपलब्ध करना शामिल है।

इसके विषय में कोई भी जानकारी हेतु आप निम्नलिखित टेलीफोन नम्बर पर सम्पर्क करें :–

मोबाइल नम्बर – **9891998111, 9891988847**

नोट :– कृपया ध्यान देवें कल दिनांक 7 जुलाई 2017 को प्रातः 9.30 बजे से लेकर सायं 5.00 बजे तक टेली सोफ्टवेयर कम्पनी के टीम अपमा कार्यालय में मौजूद रहेगी। यदि इच्छुक व्यापारी भाई कम्प्यूटर सोफ्टवेयर के बारे में जानकारी एवं पंजीकरण करवाना चाहते है तो अपना टीन नम्बर एवं पैन नंबर साथ लेकर अवश्य आए।

कृ0प0उ0..........2

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/114

सूचनार्थ

व्यापारी भाईयों, अपमा सरकूलर नम्बर 111 के माध्यम से सूचित किया गया था कि ट्रेक्टर पार्टस पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है यह सूचना टी.वी. एवं अखबारों के माध्यम से दी गई थी। परन्तु जब नोटिफिकेशन देखा गया तो ट्रेक्टर पार्ट्स की कुछ श्रेणियां पर ही यह छूट दी गई है यानि की सम्पूर्ण ट्रेक्टर पार्ट्स की श्रेणियों पर छूट नहीं दी गई है। अतः व्यापारी भाईयों से अनुरोध है कि व्यापार में लेन–देन करते वक्त दरों के हिसाब से करें।

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/115

'' ट्रेड लाईसेंस कैम्प का आयोजन''

साथियों, अपमा क अथक प्रयास एवं **दिल्ली नगर निगम के सहयोग से दिनांक 3–7–2017 से लेकर 20–7–2017 को सुबह 11.00 बजे से लेकर सायं 4.00 बजे तक अपमा कार्यालय में ट्रेड लाईसेंस बनवाने हेतु कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।** इस कैम्प में ट्रेड लाईसेंस बनवाने हेतु दिल्ली नगर निगम के अधिकारीगण मौजूद रहेगें। अतः जिन व्यापारी भाईयों ने ट्रेड लाईसेंस नहीं बनवाये है उनसे अनुरोध है कि ट्रेड लाईसेंस हेतु निम्नलिखित दस्तावेज तैयार कर ले तथा अपमा कार्यालय में आकर अपना ट्रेड लाईसेंस की प्रक्रिया पूर्ण कर अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा लेंवें।

01. आधार कार्ड की फोटोकापी
02. आवदेक की फोटो एवं दुकान की फोटो
03. दुकान/प्रतिष्ठान का हाथ से बनाया हुआ नक्शा, Key Plan
04. किराये की रसीद
05. दुकान की रजिस्ट्री की कापी
06. बिजली बिल की कापी
07. Affidavit in Prescribed Formats.
08. Structure Safety Certificate(if Required)

साथियों, जिन व्यापारी भाईयों की दुकान/प्रतिष्ठान तीन वर्ष पुरानी है तथा 20 मीटर क्षेत्रफल से कम है उनको प्रति वर्ष 500/– रूपये के हिसाब से 6 साल का शुल्क एक बार में ही जमा करवाना होगा यानि कि 500x6= 3000/– रूपये। इसके अलावा दूसरा **Demand Draft(D.D.) "Commissioner, North DMC License Processing Fee A/C Rs. 914/-** का **D.D.)** देना है।

जो दुकाने/प्रतिष्ठान एक वर्ष पहले की है उनको 500x3= 1500/– राशि का एक **Demand Draft(D.D.) "Commissioner, North DMC License Fees A/C** के नाम का देना है इसके अलावा दूसरा **Demand Draft(D.D.) "Commissioner, North DMC License Processing Fee A/C Rs. 914/-** का **D.D.)** देना है।

जो दुकाने/प्रतिष्ठान का क्षेत्रफल 20 मीटर से अधिक है उनको 50 रूपये प्रति Sq Meter के हिसाब से 6 साल का शुल्क एक बार जमा करना होगा।

बन्धुओं, सूचना मिल रही है कि मार्किट कुछ लोग दुकान–दुकान जाकर ट्रेड लाईसेंस बनाकर देने की एवज में दुकानदारों से धनराशि ले रहें है, ऐसे लोगों से सावधान रहें यदि कोई व्यापारी ऐसे अनाधिकृत लोगों से ट्रेड लाईसेंस बनवाते है तो यह उनकी स्वयं की जिम्मेवारी होगी, इसमें अपमा तथा ट्रेड लाईसेंस इन्सपैक्टर श्री अनिल यादव जी की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। अधिक जानकारी हेतु ट्रेड लाईसेंस इन्सपैक्टर श्री अनिल यादव जी के मोबाइल नम्बर : 9718854405 से सम्पर्क करें।

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि अपमा कार्यालय में आयोजित कैम्प में आकर अपना ट्रेड लाईसेंस अवश्व बनवा लेंवे अन्यथा दिल्ली नगर निगम के अधिकारीगण मार्किट में आकर चालान कर सकते है।

(विष्णु भार्गव)
महासचिव